क्रमांक सं० 1315
पत्रावली सं० 18 Mg
दिनांक 23/6/2022

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

*E-mail:dfonainital@gmail.com* *Telefax.05942-236790*

पत्रांकः— 5694 / 13—किमूपानी थानदेव दिनांक 20/6 /2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल।

विषय :— **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6.00 किमुपानी थानदेव से सैंमधार के सैंम मंदिर तक मोटर मार्ग मका वन निर्माण (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु 3.555 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/141441/2021)**

संदर्भ :— **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0बी / यू0पी0सी0 / 06 / 142 / 2021 / एफ0सी0 / 305 दिनांक 27.05.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार अनुपालन किया जाना —

1. शर्त संख्या 3(क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.110 है0 सिविल एवं सोयम भूमि हल्दयानी खसरा संख्या 2756 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। क्षातिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि हल्दयानी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तान्तरण के सुप्रमाण प्रेषित किया जाना है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है।

शर्त संख्या 3 (ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। वन विभाग के स्वामित्व से बाहर ऐसे क्षेत्र जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

AE V / अभा0
23/06/2022
अ0अ0
23/06/2022

शर्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के माध्यम से मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुपालन आख्या के साथ प्रेषित किया जाए।

1. शत संख्या 4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की धनराशि रू0 3.555X2= 7.11 है0 X 4,07,992.00 29,00,823.12 (उनतीस लाख आठ सौ तेईस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है, जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 1459 / 3—5—2 पी.ओ. दिनांक 01.07.2021 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है।
2. शर्त संख्या 5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3.555 Ha. X 10,05,210.00 = 35,73,522.00 (पैंतीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त संख्या 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो

अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

3. शर्त संख्या 9 के अनुपालन में एफ.आर.ए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
4. शर्त संख्या 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौंधों की संख्या बढ़ायेगा।
5. शर्त संख्या 11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे।
6. शर्त संख्या 12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
7. शर्त संख्या 16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।
8. शर्त संख्या 20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
9. शर्त संख्या 21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
10. शर्त संख्या 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पर्नुजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसकार स्थिलीकरण एवं सुधार कार्ययोजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
11. शर्त संख्या 24 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तों का भी अनुपालन किया जाना है।

अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।